अनुदेश पुस्तिका

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां 1 और 2

सातवां संस्करण

मार्च 2008

अनुदेश-पुस्तिका की प्रतियां निदेशक, समीक्षा एवं प्रकाशन प्रभाग (विक्रय अनुभाग), आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग (निचली मंजिल), पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400001 के पास उपलब्ध हैं।

चेक/ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई के पक्ष में आहरित किये जाएं।

मूल्य रु. 40/-
(डाक खर्च सहित)

बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग,
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,
सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, पोस्ट बॉक्स सं. 8128, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. द्वारा प्रकाशित
मेसर्स अल्को कार्पोरेशन 331, ए-2, शाह एंड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई 400 013 में मुद्रित

प्राक्कथन

दिसंबर 1972 में शुरू की गयी मूल सांख्यिकीय विवरणी (मू.सां.वि.) प्रणाली लगभग साढ़े तीन दशकों से लागू है। समय-समय पर प्रणाली में सुधार किये जाते हैं। मू.सां.वि.-1 और 2 विवरणियां भरने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 1972 में अनुदेशों की पहली पुस्तिका निकाली। मू.सां.वि. प्रणाली में सुधार और संशोधनों के बाद अनुदेश पुस्तिका जनवरी 1978, जनवरी 1984, जनवरी 1990, और मार्च 1996 और मार्च 2002में संशोधित की गयी। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण - 1998 (एनआइसी) के आधार पर (इंटरनेशनल स्टेंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफ़िकेशन (आइएसआइसी) संशो.3-1990 पर आधारित) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की तुलनीयता हेतु वर्गीकरण प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए मार्च 2002 के अंतिम संशोधन में एक नई व्यवसाय/कार्यकलाप कूटबद्धता प्रणाली मू.सां.वि. में लागू की गई। अर्थव्यवस्था के ढाँचे में पिछले कुछ वर्षों में आये परिवर्तनों के चलते कई नए कार्यकलाप उभर कर आए हैं या प्रमुख बन गए हैं तथा कुछ पुराने कार्य या तो अनुपयोगी हो गए हैं या महत्त्वहीन हो गए हैं। संबंधित प्रणालियों में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। आइएसआइसी संशो.3.1-2002के आधार पर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने एक अद्यतन एनआइसी-2004 जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (द युनाइटेड नेशन स्टैस्टिकल डिविज़न) ने आइएसआइसी संशो.4 (ड्राफ्ट)-2007 जारी किया है और इसकी स्वीकृति होते ही विभिन्न देश इसका कार्यान्वयन प्रारंभ कर देंगे।लघु उद्योगों (एसएसआइ) के स्थान पर विनिर्माण और सेवाएं का काम करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों वाले लघु उद्यम की परिभाषा और अवधारणा आई है। प्रणाली में किए गए इन संशोधनों को इस सातवें संस्करण में लिया गया है। बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़ो की गुणवत्ता में सुधार लाना भी संशोधन का लक्ष्य है। मू.सां.वि. के सर्वेक्षण की आवधिकता अब तक की तरह वार्षिक रहेगी और मू.सां.वि.-1 एवं मू.सां.वि.-2 की संदर्भ तारीख 31 मार्च ही रहेगी, जिससे कि यह बैंको के लेखा वर्ष के साथ चले। तथापि, अधिक व्यापक एवं उपयोगी जानकारी पाने के उद्देश्य से, मू.सां.वि.-1 के जरिये कुछ अतिरिक्त सूचनाएं एकत्र करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तुत संस्करण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

(ए) विद्यमान व्यक्तिगत क्रेडिट कार्डों के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड और सामान्य (जनरल) क्रेडिट कार्डों को खाते के प्रकार में शामिल किया गया है।

(बी) उधारकर्ताओं के संगठन कोडों की पुनर्संरचना की गई है। वित्तीय और गैर वित्तीय संगठन को सार्वजनिक, निजि और सहकारी क्षेत्रों में अलग-अलग परिभाषित किया गया है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफ़आइ) के लिए अलग-अलग कूट रखे गए हैं।

(सी) व्यवसाय कार्यकलाप कोड पुनर्गठित किए गए हैं। 'व्यक्तिगत ऋणों' को दो अलग समूहों में बाँटा गया है;स्टाफ़ ऋण और स्टाफ़ ऋण के अलावा। मरम्मत और अनुरक्षण को अलग प्रभाग में रखा गया है।

(डी) नवीनतम परिपत्र नं आरपीसीडी.प्लान. बीसी.84/04.09.01/2006-07 दिनांक 30-04-2007 और आरपीसीडी.प्लान. बीसी.42/04.09.01 2007-08 दिनांक 12-12-2007 के अनुसार कृषि को अप्रत्यक्ष

वित्त को भी पुनर्संरचना किया गया है। आवास और लघु उद्यम क्षेत्रों को दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त की जानकारी इकट्ठी करने के लिए नये कोड प्रारंभ किए गए हैं। एसएचजी/ एमएफ़आइ के विविध कार्यकलापों के लिए नये व्यवसाय जोड़े गए हैं।

(ई) कृषि व संबंधित कार्यकलापों व अन्य उद्देश्यों के लिए आगे दिए जाने वाले उधार (ऑन-लेंडिंग) के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए जाने वाले ऋण अलग समूह में रखे गए हैं।

(एफ़) कृषि व संबंधित कार्यकलापों, लघु व सूक्ष्म उद्यमों, आवास क्षेत्र, शैक्षिक और अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए आगे दिए जाने वाले उधार (ऑन-लेंडिंग) केआधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को दिए जाने वाले ऋणों का वर्गीकरण किया गया है।

(जी) 'उधार खाते का स्वरूप' के स्थान पर 'ऋणकर्ता की श्रेणी' प्रारंभ की गई है जिसमें उधार लेने वाली इकाई के आकार को आधार बनाया गया है।

(एच) जमानती और गैर-जमानती ऋण की जानकारी इकट्ठी करने के लिए गिरवी रखी गई जमानत (ऋण की गारंटी) स्थिति नामक नया मानक प्रारंभ किया गया है।

(आइ) 'ऋण पर ब्याज की स्थिर/ अस्थिर दर' पर भी जानकारी के लिए भी एक फ्लैग प्रारंभ किया गया है।

3. मू.सां.वि. 1 भाग-ख विवरणी भी संशोधित की गयी है। मू.सा.वि. 1क, व्यवसाय/कार्यकलाप कूटबद्धता प्रणाली में बदलाव को देखते हुए मू.सां.वि.-1 ख में 2-अंकों के कूट के स्थान पर 3-अंकों के नए कूट प्रारंभ किए गए हैं जिनमें कुछ नए आइटम भी हैं। मू.सां.वि.-1ख विवरणी में दो अलग-अलग ऋण सीमा समूह बने रहेंगे अर्थात 'रु. 25,000 तक' और रु. '25,000 से अधिक एवं 2 लाख रुपये तक'।

4. मू.सां.वि.-2 विवरणी में कोई संशोधन नहीं है। फ़ॉर्म-ए, धारा-42(2) विवरणी के अनुसार ऋण और जमाराशियों से संबंधित आंकडे, जो क्रमश: मू.सां.वि.-1ख और मू.सां.वि.-2 में प्राप्त किये जाते हैं, वह 31 मार्च की स्थिति के अनुसार दर्ज किया जाना है न कि मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार। पिछले पुस्तिका (मार्च 2002 छठा संस्करण) की तुलना में इस पुस्तिका में आए परिवर्तनों की एक विस्तृत सूची परिशिष्ट में दी गई है।

5. 2002 और 2008 की कूटबद्धता प्रणाली के कूट में संबंध दर्शाते हुए सामंजस्य (कॉकॉर्डेंस) टेबल भी दिए गए हैं।

6. संशोधित पुस्तिका में मू.सां.वि.-1 और मू.सां.वि.-2 विवरणियों को भरने के विस्तृत अनुदेशों के साथ-साथ उधार खातों के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले संशोधित कूट भी है। मू.सां.वि.-1 क और मू.सां.वि.-1 ख व्यवसाय कूटों के बीच एक संपर्क सारणी भी दी गयी है जिससे संकलन में आसानी हो। संशोधित योजना मार्च 2008 सर्वेक्षण के दौरे से लागू होगी। मू.सां.वि.-1 में ऋण सीमा और बकाया ऋण के वर्गीकरण की पद्धति को स्पष्ट करने वाले कुछ उदाहरण भी इस पुस्तिका में दिए गए हैं जिससे बैंक कर्मचारी मू.सां.वि.-1 में सही आंकड़े दे सकें। मू.सां.वि.-1 एवं मू.सां.वि.-2 के अलावा इस पुस्तिका के

परिशिष्ट में अन्य मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों से संबंधित ब्यौरे भी हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने होते हैं।

7. नीति निरूपण एवं शोध की दृष्टि से मू.सां.वि. सर्वेक्षण के परिणाम महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए इन विवरणियों को समय से प्रस्तुत करना परम आवश्यक है ताकि निर्धारित समय के भीतर सर्वेक्षणों के परिणाम जारी कर दिए जाएं। यह देखा जा रहा है कि समय के साथ बैंकों ने मू.सां.वि. प्रणाली की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार किया है; तथापि इसमें और सुधार लाया जा सकता है यदि अपने बहुमूल्य मू.सां.वि. आंकड़ों का उपयोग बैंक अपनी प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आइ एस) व विश्लेषण के हिस्से के रूप में करें। आशा है कि सभी बैंक मू.सां.वि. प्रणाली को पूर्णत: मजबूत बनाएंगे।

सांख्यिकीय विश्लेषण
और कंप्यूटर सेवा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (**पूर्व**)
मुंबई-400 051

20 फ़रवरी, 2008

बलवंत सिंह
परामर्शदाता, सांख्यिकीय विश्लेषण
और कंप्यूटर सेवा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक और अध्यक्ष
बैंकिंग सांख्यिकी निदेश समिति

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

I मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (मू.सां.वि.) 1 : परिचय 1
भाग क और भाग ख

II मूसांवि -1 भरने हेतु मार्गदर्शन / अनुदेश 7

III मू.सां.वि. -1- भाग क (मू.सां.वि-1 क) 8

IV 'ए' से 'आय' तक कूट सूचियां 21

V मू.सां.वि-1-भाग ख (मू.सां.वि.-1ख) 81

VI मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1- भाग क एवं ख (मूसांवि.-1 क और मूसांवि-1ख)
कार्यकलाप / व्यवसाय कूट : संपर्क सारणी 84

VII मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 2 89

VIII मू.सां.वि-2 भरने के मार्गदर्शन/अनुदेश 91

IX मू.सां.वि-1क और मू.सा.वि-1ख के लिए निदर्शी उदाहरण 95

परिशिष्ट : 149

1. **फार्म :**
मू.सां.वि.-1क
मू.सां.वि.-1ख
मू.सां.वि.-2

2. **मू.सां.वि. 1 और 2 डेटा को सॉफ्ट फॉर्म में जमा करना - रेकार्ड लेआउट: 151**
मू.सां.वि.-1क
मू.सां.वि.-1ख
मू.सां.वि.-2

3. **पिछले (छठे) संस्करण की तुलना में इस संस्करण में प्रमुख परिवर्तन: 156**

परिवर्तनों की सूची

सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल) :
मू.सां.वि.-1 क व्यवसाय कूट 2008 और 2002

सामन्जस्य तालिका (कॉन्कॉर्डेंस टेबल) : मू.सां.वि.-1ख आइटम कोड 2008 और 2002

4. **मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली सांख्यिकीय विवरणियों की सूची 165**